उपायुक्त का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

पतरस अहिर वगै0
बनाम
नंदा अहिर

आदेश फलक तारीख............से..............तक ।जिला – गुमला

वाद सं0 :– 33/2017–18

वाद का प्रकार :– म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)

18/01/2021

श्री पतरस अहिर पिता –स्व0 सोहर अहिर वगैरह ग्राम–पहामु थाना–सिसई, जिला–गुमला के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद सं0 – 19/2016–17 में दिनांक – 24.01.2017 के पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में म्यूटेशन रिवीजन वाद समर्पित किया गया।

दिनांक–16.01.2021 को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर संयुक्त सुलहनामा आवेदन समर्पित किया गया है। जिसमे यह उल्लिखित किया गया है कि दोनों पक्ष एक ही खंदान के व्यक्ति हैं तथा प्रश्नगत जंमीन के अलावे मौजा–पहामु थाना– सिसई जिला–गुमला अवस्थित खाता नं0–55 के संयुक्त हिस्सेदार हैं। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि खाता नं0–55 कुल रकबा–13.40 एकड का खतियान रिवीजनल सर्वे में हरख अहिर और हिरवा अहिर के नाम से बना है। चूँकि हिरवा अहिर की नावल्द मृत्यु हो गई है।

उनका यह भी कहना है कि खाता नं0–55 के जंमीनों का हरख अहिर के पुत्रों के बीच बटवारा नही हुआ है और सभी जंमीन सम्मिलात है, तथा सभी हिस्सेदारो के बीच आपसी सहमति से सुलह हो गया है और सभी पूर्व की भांति सभी जंमीनों का जमाबंदी संयुक्त रुप से रखना चाहते हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा सुलहनामा आवेदन पत्र के आधार पर अनुरोध किया गया है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0–19/2016–17 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए अंचल अधिकारी सिसई के आदेश को बहाल रखा जाय। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि द्वितीय पक्ष जो इस वाद में अपीलार्थी हैं के द्वारा निम्न न्यायालय में अभिरुची एवं पैरवी न करने के कारण एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है।

अतः निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन एवं उभय पक्षो के द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा आवेदन के आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील वाद स्वीकृत की जाती है।

कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

18/1/21
उपायुक्त,
गुमला

18/1/21
उपायुक्त,
गुमला

Scanned with CamScanner